issued from the Central Pool. It is not possible to quantify the impact on the State Governments due to increase in the Centra] issue prices, as the retail consumer prices of rice and wheat are fixed by the State Governments, taking into account the Central issue prices and their own distribution costs and subsidy, if any.

संस्कृत और उर्दू में दूरदर्शन पर समाचारों का प्रसारण

1298. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय:** क्या सचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत संस्कृत और उर्दू में दूरदर्शन पर प्रतिदिन समाचार प्रसारित किये जाने के संबंध में कोई सुझाव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो संस्कृत और उर्दू में दूरदर्शन पर समाचार प्रसारित न किये जाने के क्या कारण हैं और सरकार कब तक इसे प्रारम्भ करने का विचार रखती है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत): (क) जी, हां।

(ख) ट्रांसमिशन के लिए उपलब्ध सीमित समय को देखते हुए, दूरदर्शन के राष्ट्रीय कार्यक्रम में संस्कृत और उर्दू में समाचार बुलेटिन आरंभ करना साध्य नहीं पाया गया है।

1299. [Transferred to the 13th March, 1989.]

Revision of Policy of Urban Development

1300. SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to revise the existing policy of urban development and urban land ceiling in the country; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) and (b) There is no proposal to revise present policy of Urban Development. However, the Urban Development strategy will be formulated in the course of formulation t>f the Fifth Five Year Plan. Amendments to the Urban Land (Ceiling & Regulation) Act, 1976 are under consideration.

अलग-अलग राज्यों के मुख्य मंत्रियों और वरिष्ठ मंत्रियों का अल्पसंख्यकों के कल्याण का प्रभारी बनाया जाना

1301. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं जहां मुख्य मंत्री अथवा राज्य के मंत्रिमण्डल में वरिष्ठ मंत्री को अल्पसंख्यक कल्याण का प्रभारी बनाया गया है;

(ख) ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं जहां ऐसा नहीं किया गया है और उसके क्या कारण है, इन राज्यों में ऐसी व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी;

(ग) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों को सलाह दी गयी थी कि वे मुख्यमंत्रियों तथा मुख्य सचिवों के स्तरों पर तिमाही समीक्षा बैठकें तथा जिला कलेक्टर मंडल आयुक्त स्तरों पर मासिक बैठकें आयोजित करें और इस सुझाव का कार्यान्वयन कहां तक हो रहा है; और

(घ) इस सुझाव के कार्यान्वयन के संबंध में उत्तर प्रदेश के जनपद इलाहाबाद, लखनऊ और वाराणसी में अब तक क्या कार्रवाई हुई?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुमति ओरांव): (क) और (ख) मेघालय तथा नागालैंड राज्यों को छोड़कर जिनहोंने सूचित किया है कि अनेक राज्य ही आदिवासी राज्य हैं, शेष सभी राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि प्रधान मंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों के कल्याण से संबंधित विषय सीधे ही प्रभारी मुख्य मंत्री अथवा वरिष्ठ मंत्री के अधीन है।

(ग) दिनांक 24 फरवरी, 1989 को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 404 के उत्तर की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा शीघ्र सदन के पटल पर रख दी जाएगी।